:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :—मणीलाल तीरगर

प्रकरण नम्बर 16/19 राजस्व वाद

1 अमृतलाल पिता स्व. श्री धुला चमार जाति चमार निवासी दरियाटी तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1 श्रीमती कंकु पत्नी स्व. धुला चमार जाति चमार निवासी दरियाटी तहसील चिखली जिला डूँगरपुर

2 श्री राजेश पिता स्व. श्री धुला चमार जाति चमार निवासी दरियाटी तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

3 श्री राजस्थार सरकार जरिये भूमि धारी तहसीलदार चिखली जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1 श्री श्रवण रावल अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 21/06/2019

(1) वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92क, 209 रा.का.अधि. का इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण कंकु, व राजेश के खिलाफ इस बात की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे की वाद ग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 711 जो मौजा दरीयाटी में स्थित है में बिना बटवारा किए किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा किये जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोक देवे, वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विकय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयम् करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे, भूमि की किस्म परिवर्तन न करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वाद ग्रसत भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयमं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वादी के काश्त कार्य के रूकावट पैदा न करे, तथा दौराने वाद निर्माण किए जाने पर उसे तोडा जावे। साथ ही बक्षीस नामा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी कुंकु के मध्य आराजी नम्बर 711 रकबा 7 बिसवा का आपसी बटवारा किया जाकर उनके हिस्से में आने वाली संपति का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राज० रेकार्ड में तदनुरू० इंद्राज किया जावे।

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को तलब किया गया, दिनांक 28/05/2019 को प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु समय चाहा, न्यायहित मे समय दिया गया, दिनांक 11/06/2019 को प्रतिवादीगण ने न्यायालय में पेश होकर कहा कि उनका विवादीत भूमि का सामाजिक रीति रिवाज अनुसार बटवारा हो जाना बताया जवाब नहीं देना चाहा, जिस पर जवाब बन्द कर दिया गया।

वादी ने अपने लिखित बयान शपथपत्र पेश किया कि मुझ प्रार्थी की सोतेली माता व विपक्षी सख्या 1 प्रार्थी का सोतेला भाई है , प्रार्थी के पिता द्वारा दो विवाह किए गए थे, प्रथम पत्नी का नाम काली होकर प्रार्थी श्रीमती काली की संतान है, तथा दुसरी पत्नी श्रीमती कंकु है तथा विपक्षी सख्या 2 कंकु की सन्तान है। गॉव दरीयाटी के खसरा सख्या 711 रकबा 0.07 बीघा मौजा दरियाटी में स्थित है तथा उपरोक्त आराजीयात के खातेदारी जगदीश, बंसती, कडवी माया, द्वारा दिनांक 26/12/2018 को एक रजि. बक्षीस नामा प्रार्थी एवं विपक्षी कंकु के पक्ष में संपादित कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया जाकर मालिक बनाया है। तथा बक्षीसनामें के आधार पर इन्तकाल खोला जावे। कि आ.न. 711 के प्रार्थी एवं विपक्षी कंकु सहखातेदार है तथा दोनो के मध्य बटवारा नहीं होने के बावजूद प्रतिवादी कंकु व उसके पुत्र द्वारा बिना बटवारा किए आ.न. 711 के कुछ हिस्से पर तीन दिन पूर्व निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा प्रार्थी द्वारा रोके जाने पर प्रतिवादी कंकु व प्रतिवादी राजेश द्वारा लडाई–झगडा किया जा रहा है तथा मारपीट करने आमादा हो रहे है। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि विपक्षी कंकु व राजेश के खिलाफ इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे की वादग्रस्त भूमि आ.न. 711 मौजा दरीयाटी में स्थित है जिसका रिकार्ड के अनुसार बटवारा किया जावे, तथा बक्षीसनामें के अनुसार इन्तकाल खोला जावे।

आदेश

कि गॉव दरीयाटी के आराजी नम्बर 711 का रकबा 7 बीसवा दिनांक 26/12/2018 के बक्षीसनामें के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर, रिकार्ड एवं मोके पर कब्जे अनुसार बटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किए जावे। तहसीलदार तहसील चिखली निर्णय की पलाना करे।

21.6.2019

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा म0 धम्बोला

आज दिनांक 21/06/2019 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

21.6.2019

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा म0 धम्बोला

Scanned by CamScanner

मुलवाद में अन्तिम डिकी

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा जिला डूॅंगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री मणीलाल तीरगर RAS

श्री अमृतलाल **बनाम** श्रीमती कंकु आदि

दावा बाबत् अन्तर्गत धारा :– अन्तर्गत धारा 53, 92क, 209 रा.का.अधिनियम

मुकदमा सख्या:– 16/19

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण रावल और प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, आज दिनांक 21/06/2019 को मणीलाल तीरगर RAS के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है और वादी के वाद में बटवारे एवं स्थाई निषेधज्ञा की अन्तिम डिकी दी जाती है कि बटवारा रिकार्ड एवं मौकै वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते अलग अलग कर दर्ज रिकार्ड किए जावे, बटवारा कर नक्षे में तरमीम की जावे, गॉव दरीयाटी की आराजी 711 का रकबा 7 बीसवा में वादी एवं प्रतिवादी का रिकार्ड एवं मौके के अनुसार बटवारा किया जावें तथा दिनांक 26/12/2018 के अनुसार नामान्तरण दर्ज किया जावे, तथा नामा दर्ज कर बटवारा किया जावे। अलग–अलग खाते दर्ज रिकार्ड किए जावे। तहसीलदार तहसील चिखली पालना कर रिपोर्ट प्रेषित करे।

यह आज दिनाक 21/06/2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

21.6.2019

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु० धम्बोला

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

21.6.2019

मणीलाल तीरगर
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु० धम्बोला

Scanned by CamScanner